जेड जोन गैंग का सरगना सहित तीन गिरफ्तार

कांकरोली थाना पुलिस की गिरफ्त में जेड जोन गैंग का सरगना जाकिर हुसैन एवं गैंग के अन्य दो सदस्य।

राजसमन्द, ०(निसं)। जिले की कांकरोली थाना टीम ने थाने का हिस्ट्रीशीटर जेड जोन गैंग के सरगना जाकिर हुसैन को गैंग के अन्य दो सदस्यों सहित तीन पिस्टल व पांच जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हनवंतसिंह सोढा ने बताया कि एसपी मनीष त्रिपाठी के आदेशानुसार जिले में अवैध हथियारों की धरपकड के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एएसपी महेन्द्र पारीक एवं डीएसपी विवेकसिंह के नेतृत्व में गठित कांकरोली थाना टीम द्वारा कांकरोली थाने के हिस्ट्रीशीटर व जेड जोन गैंग के सरगना जाकिर हुसैन को गैंग के दो सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तीन पिस्टलें व पांच कारतूस बरामद किए हैं।

गौरतलब है कि विगत दिनों कस्बा कांकरोली स्थित सुलूस रोड पर मोहिद हुसैन एवं उसके साथी मुकेश उर्फ फुग्गा ने भावेश गौरवा पर पिस्टल से फायरिंग कर कस्बे के लोगों में दहशत पैदा की थी। इस घटना को लेकर एसपी द्वारा कांकरोली में विशेष टीम गठित की थी। इस टीम ने उत्तराखण्ड से मोहिद हुसैन व उसके साथी मुकेश उर्फ फुग्गा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चार पिस्टलें व 44 कारतूस बरामद किए थे। इन अपराधियों से अनुसंधान करने पर ज्ञात हुआ था कि कांकरोली कस्बे में अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया पर दो तरह की गैंग संचालित की जा रही है। मोहिद हुसैन द्वारा किंग खान गैंग व उसके प्रतिद्वंदी जाकिर हुसैन द्वारा जेड जोन गैंग संचालित की जाती है। इन दोनों अपराधी शातिर किस्म के बदमाश होकर थाना कांकरोली के हिस्ट्रीशीटर हैं। जो सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते हैं तथा आम जनता में दहशत फैलाते हैं।

जिस कारण कई युवा इन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो भी करते हैं। अपराधी मोहिद हुसैन व उसके सहयोगियो से कुल 9 पिस्टले व कारतूस बरामद हुए थे। मोहिद हुसैन व मुकेश उर्फ फुग्गा की गिरफ्तारी के बाद जेड जोन गैंग का सरगना जाकिर हुसैन अपने साथी सदस्यों के साथ फरार चल रहा था। जिनके पास भी अवैध हथियार होने की संभावना से जाकिर हुसैन व उसके साथियों की लगातार तलाश की जा रही थी। मंगलवार को मुखबीर से सूचना मिली की जेड जोन गैंग का सरगना जाकिर हुसैन अपने साथियों के साथ कांकरोली के आस पास के गांवों में घूम रहा है। जिस पर कांकरोली थाने की अलग-अलग टीमों ने हिस्ट्रीशीटर जाकिर हुसैन पुत्र रूस्तम खान निवासी जल चक्की कांकरोली, नदीम खान उर्फ मांगु पुत्र रमजान खान निवासी चांद पोल दरवाजा कांकरोली, फरदीन खान पुत्र फिरोज खान निवासी देलवाडा हाल खडबजी का चौक खांजी पीर उदयपुर को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से तीन पिस्टलें व पांच जिन्दा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इस गैंग द्वारा हथियार किंग खान गैंग के सरगना मोहिद हुसैन व मुकेश उर्फ फुग्गा से विगत दिनों जाकिर हुसैन पर हुए जानलेवा हमले का बदला लेने के लिए अपने पास रखना बताया। अनुसंधान जारी है।

जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

डूंगरपुर। सोमवार को प्राथि या पिंकी तत्नी सुनील यादव निवासी सतीरामपुर जिला डूंगरपुर ने जिला कलक्टर को एक परिवाद सौपा। जिसमें बताया कि, प्राथीय ा पिंकी मीणा ने आवासन मण्डल का एक मकान खरीदा है, जिसके नामान्तरण खोलने के लिए डूंगरपुर आवासन मण्डल के समक्ष उपस्थित हुई, जिसके उपरान्त मुझेआवासन मण्डल के सेवानिवृत कामि क भुपेन्द्र सिंह व लोकेश द्वारा एक फॉम भरने हेतु दिया व चालान की प्रति दी, जोकि मूझे पुनः भर कर चालान की राशि कूल 7० हजार 7०० सौ रूपये युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डूंगरपुर के माफ त 2० जुलाई 2०24 को विधिपूव जमा करवाए।

इसके उपरान्त मेरे पति सुनील यादव को आवासन मण्डल के निजी कामि क ने बताया कि, यदि 7 दिन में नामान्तरण खुलवाना हो तो सेवानिवृत कामि क भूपेन्द्र सिंह को स पक करे, वही आपका कार्य जल्द से जल्द करवा सकते है, अन्यथा आपका नामान्तरण खुलने में 2 माह लग जायेगें। जिस पर मेरे पति द्वारा भूपेन्द्र सिंह के मोबाइल पर स पकड कर उक्त वार्ता की, लेकिन भूपेन्द्र सिंह ने अगले दिन उक्त प्रक्रिया के बारे अवगत कराने के लिए कहा। उसके बाद दूसरे दिन भूपेन्द्र सिंह का सामने से मेरे पति सुनील यादव पर कॉल आया, जिसमें बताया कि, नामान्तरण जल्द खुलवाना हो तो सबसे 4०- 5० हजार रूपये लेता हुं, पर तु मिलने वाला है, इसलिए तुझसे मात्र 25 हजार रूपये लुंगा। साथ ही प्राथी पिकीं के पति सुनील ने बताया कि, कॉल पर यह भी कहा कि, नामान्तरण की प्रक्रिया का अखबार में देना आवश्यक है।

झुलसे मजदूर से मिलने पहुंची पूर्व विधायक प्रीती शक्तावत

भीण्डर। भीण्डर में 29 अगस्त को विद्युत विभाग में ठेकेदार के मार्फत काम करने वाला एक मजदूर बिजली के चपेट में आने से झलूस गया। जिसको इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया था। वहां पर सोमवार को वल्लभनगर पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता प्रीति शक्तावत कुशलक्षेम जानने पहुंची। उन्होंने मजदूर और उनके परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाते हुए इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं आने का आश्वासन दिया।

उल्लेखनीय हैं कि भीण्डर के मदनपुरा निवासी जगन्नाथ मीणा एवीवीएनएल के ठेकेदार फर्म के मार्फत मजदूरी का काम करता है। शुक्रवार को ठेकेदार के कहने पर मदनपूरा स्थित एक विद्युत खंभे पर जम्पर व तार खींचने हेतु खंभे पर चढा। लेकिन अचानक पावर हाउस से कर्मचारी ने लाइन चालू कर दी। जिससे 11 केवी लाइन में करंट दौडने से खंभे पर चढे जगन्नाथ को करंट लगने से वह झुलस गया जिसको बाकी मजदूरों ने वहां से छुडाया एवं तुरंत भींडर हॉस्पिटल पहुंचाया। यहां से उदयपुर रेफर किया गया था। घायल के भाई नक्षत्र मीणा ने दोषी कर्मचारी एवं अधिकारियों पर कार्यवाही करने एवं उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है।

सोमवार को वल्लभनगर पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता प्रीति शक्तावत उदयपुर एमबी हॉस्पिटल में भर्ती जगन्नाथ मीणा से मिलने पहुंची, यहां उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उसको हर संभव मदद व इलाज के लिए भरोसा दिलाया। पूर्व विधायक ने कहा कि जिला कलेक्टर प्रशासन से बात कर उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास करूंगी। इस दौरान भीण्डर नगर पालिका कांग्रेस पार्षद लता चौबीसा, नंदलाल अहीर, किशन अहीर, नक्षत्र मीणा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कार्यालय नगर पालिका भीण्डर, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक-न.पा.भी/2024-25/692 दिनांक : .....

-:ऊजरदारी सूचना:-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर नगर पालिका क्षैत्र में स्थित स्वयं के खरीदशुदा"मकान/भूखण्ड की "नामान्तरण स्वीकृति" चाही है। इस बाबत् इनके मालिकाना हक सम्बन्धी अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो उजरदारी की सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी आपत्ति मय दस्तावेज के नगरपालिका कार्यालय में दर्ज करा सकते है। बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी तथा नामान्तरण स्वीकृति जारी किये जाने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदित सम्पत्ति का विवरण कॉलोनी/मौहल्ला	स्थिति मकान के पड़ौस				क्षैत्रफल वर्गफीट
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	
1	श्री रामचन्द्र जणवा पिता लालु राम जी जणवा निवासी सालेडा तहसील कानोड़	वार्ड नं.24 स्टेशन रोड सुखसागर विहार भीण्डर	आवागमन का रास्ता	सरकारी बिलानाम भूमि	डॉ.शर्मा कामकान	मकान नं 05 कृष्ण वल्लभ चौबीसा का मकान	1250

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका भीण्ड़र

सार-समाचार

भारत के युद्ध नायक का सम्मान होगा

उदयपुर, (कासं)। जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ में 6 सितंबर को राष्ट्रभाव जागरण के उद्देश्य से परमवीर चक्र से सम्मानित युद्ध नायक सूबेदार योगेन्द्र सिंह यादव का सम्मान किया जाएगा। कर्नल प्रो शिव सिंह सारंगदेवोत ने कहा कि राष्ट्र भक्तों का सम्मान हम सभी के लिए गौरवपूर्ण है। उनके अतिरिक्त अन्य सभी परमवीर चक्र सम्मानित देशभक्तों को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के निमित्त विभिन्न समितियां बनाकर सभी को विभिन्न व्यवस्थाएं वितरित कर जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर डॉ. युवराज सिंह राठौड, प्रो. सरोज गर्ग, डॉ. भवानी पाल सिंह राठौड, डॉ. हिना खान, डॉ. नीरू राठौड, डॉ. चंद्रेश छतलानी, डॉ. रचना राठौड, डॉ. बलिदान जैन, डॉ. सुनीता मुर्डिया, डॉ. सपना श्रीमाली, डॉ. अमी राठौड डॉ. प्रदीप सिंह शक्तावत, डॉ. दिनेश श्रीमाली, डॉ. यज्ञ आमेटा सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण

राजसमन्द,(निसं)। बारिश के मौसम में जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्रावासों की भौतिक स्थिति एवं बालकों के जान माल की रक्षा करने के लिए छात्रावासों की स्थिति का निरीक्षण करने के राज्य परियोजना के दिशा निर्देश अनुसार एक टीम का गठन किया गया।

जिसमें समग्र शिक्षा अभियान राजसमंद के सहायक अभियंता प्रेमप्रकाश नागर, कनिष्ठ अभियंता भरत कुमार, कार्यक्रम अधिकारी राकेश गोस्वामी को शामिल करते हुए छात्रावासों के भवन का भौतिक रूप से निरीक्षण करवाया जा रहा है। मंगलवार को सिविल की टीम ने भीम और देवगढ के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। समसा राजसमंद के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक घनश्याम गौड ने बताया कि केजीबीवी में मौके पर कार्यरत वार्डन प्रधानाध्यापिका नोडल प्रिंसिपल को बालिकाओं की जान माल की रक्षा करने के दिशा निर्देश दिए। जिन कमरों में पानी से सिलन आ रही थी उन कमरों की छत पर केमिकल और सीमेंट का गोल करके पानी की सीलन बंद करने, टंकी के ओवरफ्लो द्वारा छत पर पाइप से पानी बाहर निकाल ने, पाइप लगाने तथा छत पर पानी नहीं भर के रखने के दिशा निर्देश दिए। भीम के बालिका छात्रावास के निर्माण काम को शीघ्रता शीघ्र पूरा करने पर पुरानी बिल्डिंग को नई बिल्डिंग में जल्दी बालिकाओं को शिफ्ट करने के निर्देश दिए। जिन कमरों में प्लास्टर गिर रहा है उन कमरों के प्लास्टर को तत्काल प्रभाव से मरम्मत करने के भीम कनिष्ठ अभियंता भरत कुमार को दिए। सहायक अभियंता ने भीम केजीबीवी के जिन कमरो में पानी से सीलन आ रही उनकी छत पूरी तरह से हटा कर नई छत डालने के एस्टीमेट तैयार कर परिषद कार्यालय जयपुर को भिजवाए जाने के दिशा निर्देश भी दिए।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

NO.:F.11()Regin-I/2024/347 Date:02.09.2024

आम- सूचना

राजस्व ग्राम सीसारमा के खसरा नम्बर 5488/2765,2765, 2780 से 2786,2787,2789 से 2795, 2871, 5741/2872 एवं न्यास भूमि आराजी संख्या 5426/2765, 2766 से 2769, 2784/5400, 2687/5434, 2868 पार्ट, 3025 पार्ट के स्वीकृत ले-आउट प्लान में स्थित (निर्मित) भूखण्ड संख्या 123 क्षेत्रफल 2090'-00" वर्गफीट के नियमन हेतु श्रीमती जुलेखा बेगम पत्नी श्री फजल मेहमुद द्वारा आवेदन पत्र के साथ अपंजीकृत विक्रय पत्र छायाप्रतियां, क्षतिपूर्ति बंध-पत्र, शपथ पत्र की प्रति आदि प्रस्तुत कर पट्टा चाहा गया है। उक्त (निर्मित) भूखण्ड संख्या 123 आवेदक को श्री पेमा पुत्र श्री रामा गमेती जरिये अधिकार पत्रधारी श्री धर्म सिंह सुवालका पुत्र श्री फतहलाल सुवालका से श्री राधेश्याम पिता श्री कन्हैयालाल दरजी का अपंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.06.1995, एवं श्री मोहम्मद नासिर पिता श्री नूर मोहम्मद मुसलमान को अपंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.01.1996 से प्राप्त हुआ है।

आवेदक द्वारा मूल विक्रय पत्र शृंखला गुम हो जाने से ऑनलाईन गुमशुदगी की रिपोर्ट 14.06.2024 की प्रति प्रस्तुत करते हुए उक्त (निर्मित) भूखण्ड संख्या 123 क्षेत्रफल 2090'-00" वर्गफीट का नियमन चाहा गया है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा श्रीमती जुलेखा बेगम पत्नी श्री फजल मेहमुद के नाम से करने के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति/एतराज हो तो स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मियाद गुजरने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(जितेन्द्र ओझा)
उपायुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कारागृह का निरीक्षण

बांसवाड़ा, (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर के निदेर्शानुसार जिला न्यायाधीश श्री अरूण कुमार अठावाल ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा के सचिव श्री कौशल सिंह के साथ जिला कारागृह, बांसवाड़ा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागृह में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। निरीक्षण के दौरान कारागृह में कैदियों के लिए भोजन, चिकित्सा, स्नान व रहने की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान अठावाल द्वारा द्वारा सभी बन्दीगणों को विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए उनके प्रकरणों में अधिवक्ता नियुक्त होने अथवा नहीं होने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई।

केवट आश्रम कालीहेल धाम चाचाकोटा में हुए अनुष्ठान

बांसवाड़ा, (निसं)। शिव हनुमान मन्दिर केवट आश्रम कालीहेल धाम चाचाकोटा में सोमवती अमावस्या पर आशापूर्ण महाराज के सानिध्य में हवन यज्ञ किया गया। आशापूर्ण महाराज ने बताया कि आश्रम में हर अमावस्या के दिन हवन यज्ञ एवं भोजन भण्डारे का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया वहीं भोजन भंडारा उदा महाराज ने किया। विरेंद्र सिंह परमार ने बताया कार्यक्रम में ठाम पंचायत चाचा कोटा के सरपंच दीपचंद्, शंकर सूर्य देव महाराज, कैलाश, मोगजी महाराज, जीवन महाराज, माला देवी, सूर्या देवी आदि ने विश्व शांति की कामना को लेकर यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। आशापुर्ण महाराज ने बताया की अक्टुबर माह में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए 15 सितंबर को बैठक व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मावजी भाई के निर्देशन मे आयोजित की जायेगी।

सांवलिया जी सेठ के भंडार से निकले 8 करोड़ रुपए

भंडार गिनती में उपस्थित मंदिर बोर्ड अध्यक्ष गुर्जर एवं पदाधिकारी।

मंडफिया, (निसं)। मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थ स्थल भगवान श्री सांवलिया जी सेठ मंडफिया के दरबार का भंडार रविवार चतुर्दशी को मंदिर बोर्ड अध्यक्ष भेरुलाल गुर्जर एवं भदेसर उपखंड अधिकारी विजयेश कुमार पांडेय की उपस्थिति में खोला गया। लेकिन यात्रियों की अधिक भीड़ होने से भंडार गिनती नहीं हो सकी।

खोले गए भंडार की राशि सुरक्षित मंदिर के तलघर में रख दी गई थी। उसके बाद अगले दिन अमावस्या होने के कारण भी गिनती नहीं हुई। मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर ने बताया कि मंदिर के तलघर में रखी राशि को मंगलवार को बाहर निकाल कर गणना की गई। प्रशासनिक अधिकारी टेलर ने बताया कि मंगलवार को भंडार गिनती से 08 करोड़ रुपए नगद प्राप्त हुए। भंडार गिनती में भादसोड़ा नायब तहसीलदार घनश्याम जरवाल, मंदिर बोर्ड सदस्य भेरूलाल सोनी, संजय कुमार मंडोवरा, अशोक कुमार शर्मा, ममतेश शर्मा, श्रीलाल पाटीदार, भादसोड़ा सरपंच एवं मंदिर बोर्ड सदस्य शंभू लाल सुथार, कांठोस युवा नेता सुरेश चंद्र गुर्जर, प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर, मंदिर प्रभारी राजेंद्र कुमार शर्मा, सुरक्षा प्रभारी भेरू गिरी गोस्वामी, लेहरी लाल गाडरी सहित मंदिर एवं बैंक कर्मचारी उपस्थित थे।

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द

सं.3131 दिनांक :03/09/2024

लोक-सूचना

श्री हुक्मीचन्द पिता श्री चुन्नीलाल भील निवासी गुडली तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	गुडली	159/2 601/156	रकबा 0.0243 हैक्टेयर रकबा 0.0061 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, राजसमन्द

सं.926 दिनांक :24/5/24

लोक-सूचना

श्री तनसुखलाल पिता श्री लक्ष्मीलाल कच्छारा निवासी धोईन्दा एवं श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री अचल कुमार धर्मावत निवासी श्रीराम नगर कावडिया हॉस्पीटल के पास राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	धोईन्दा	237	रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ।

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 24/5/24 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SRG HOUSING FINANCE LIMITED

CIN: L65922RJ1998PLC015440
321, एस.एम. लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर - 313001 (राजस्थान)
दूरभाष : 0294 2412609, ईमेल: info@srghousing.com, वेबसाइट: www.srghousing.com

मांग पत्र अंतर्गत धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002

अधोहस्ताक्षरी, जो एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है, ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत निम्न ऋणी/सहऋणियों/बन्धककर्ता/जमानतियों को एक मांग पत्र उसमें उल्लेखित रकम जो नीचे दर्शायी गई है, उक्त मांग पत्र की तारीख से 60 दिवस के भीतर प्रतिदाय करने की "मांग करने" के लिए जारी किया था। अधोहस्ताक्षरी को इस बात का विश्वास है कि ऋणी/सहऋणियों/बन्धककर्ता/जमानतियों द्वारा मांग पत्र की तामिल से बचा जा रहा है, इस कारण उक्त मांग पत्र की तामिल को प्रभावी करने हेतु उक्त मांग पत्र के घटकों को अखबार में प्रकाशित किया जा रहा है। ऋणी/सहऋणियों/बन्धककर्ता/जमानतियों को यह सूचना दी जाती है कि वे इस प्रकाशन से 60 दिवस के भीतर उक्त मांग पत्र में चाही गई दिनांक तक की राशि व अदायगी तक ब्याज, पेनल ब्याज, आदि अतिरिक्त कंपनी को अदा कर रसीद प्राप्त कर लेंवे। उक्त रकम की जानकारी आप कंपनी के अधिकारी से प्राप्त करके ऑनलाइन माध्यम से भी जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन जमा करने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट WWW.SRGHOUSING.COM पर जाकर अपने डेबिट/क्रेडिट/NEFT/RTGS/UPI के माध्यम से करा सकते है और सम्बंधित अधिकारी को इसकी जानकारी प्रदान करें। उक्त रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर ऋणी, सहऋणियों, बन्धककर्ता व उनके जमानतदारों को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंधक रखी गयी सम्पति का कब्जा ले लिया जाएगा एवं अपने प्रतिभूति हित के प्रवर्तन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 14 में वर्णित अधिकारों व अधिनियम के अन्य प्रावधानों का प्रयोग कर सकेगा। आपको अधिनियम की धारा 13(13) के तहत भी सूचित और आगाह किया जाता है की नीचे वर्णित बंधक संपत्ति को प्रेषक कंपनी से लिखित सहमती प्राप्त किये बगैर किसी अन्य को किसी भी रूप से अंतरित/हस्तांतरीत न करें। अधोहस्ताक्षरी उक्त बंधक रखी गयी सम्पति के उन्मोचन हेतु उपलब्ध समय के सम्बन्ध में उक्त एक्ट की धारा 13(8) की ओर ऋणी, सहऋणियों, बन्धककर्ता एवं जमानतियों का ध्यान आकृष्ट करता है।

क्र.	ऋण खाता संख्या/ ऋणी/ सहऋणी/ जमानती	1) मांग पत्र की दिनांक 2) मांग राशि मांग पत्र अनुसार	स्थावर संपत्ति का विवरण
1	HLR00000000012655 श्री लक्ष्मण मेघवाल पुत्र श्री धुलिया मेघवाल (ऋणी) श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री लक्ष्मण मेघवाल (सह-ऋणी) श्री प्रकाश मीणा पुत्र श्री पूंजा लाल मीणा (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- 10 जून 2024 2) मांग पत्र में अंकित राशि रु. 4,93,110/- अक्षरें रूपये चार लाख तिरानवें हजार एक सौ दस मात्र दिनांक 10 जून 2024 तक एवं दिनांक 11 जून 2024 से भविष्य के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त।	श्री लक्ष्मण मेघवाल पुत्र श्री धुलिया मेघवाल की संपत्ति जो कि खसरा नं.-960, पट्टा नं.-26, ग्राम पंचायत-आसपुर, तहसील-आसपुर, जिला-डूंगरपुर (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 433.07 वर्गफीट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व-शंकर का मकान, पश्चिम-मुकेश का मकान, उत्तर-रास्ता, दक्षिण-रास्ता
2	HLR00000000001727 श्री जीतेन्द्र कुमार पंचाल पुत्र श्री अम्बा लाल पंचाल (ऋणी) श्रीमती कैलाश देवी पंचाल पत्नी श्री जीतेन्द्र कुमार पंचाल (सह-ऋणी) श्री बलदेव पंचाल पुत्र श्री गोवर्धन लाल पंचाल (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- 27 जून 2024 2) मांग पत्र में अंकित राशि रु. 1,11,180/- अक्षरें रूपये एक लाख ग्यारह हजार एक सौ अस्सी मात्र दिनांक 27 जून 2024 तक एवं दिनांक 28 जून 2024 से भविष्य के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त।	श्रीमति कैलाश देवी पंचाल पत्नी श्री जीतेन्द्र कुमार पंचाल की संपत्ति जो कि प्लाट नं.-25, ग्राम-पडोली राठौर, तहसील-घाटोल, जिला-बाँसवाड़ा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1200.00 वर्गफीट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व- गीता देवी पत्नी मांगी लाल का प्लाट नं.-10, पश्चिम-20 फीट का कॉलोनी का रास्ता, उत्तर- प्लाट नं.-24, दक्षिण- प्लाट नं.-26
3	HLR00000000009435 श्री हरीश पालीवाल पुत्र श्री राम लाल पालीवाल (ऋणी) श्रीमती कुसुम पालीवाल पत्नी श्री हरीश पालीवाल (सह-ऋणी) श्री शैलेश पालीवाल पुत्र श्री सुख लाल पालीवाल (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- 02 अगस्त 2024 2) मांग पत्र में अंकित राशि रु. 3,52,560/- अक्षरें रूपये तीन लाख बावन हजार पांच सौ साठ मात्र दिनांक अगस्त 01 2024 तक एवं दिनांक अगस्त 02 2024 से भविष्य के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त।	श्री हरीश पंचाल पुत्र श्री राम लाल पालीवाल की संपत्ति जो कि पट्टा मिस्सल नं.-05, खसरा नं.-3180, ग्राम पंचायत-गोगुन्दा, तहसील-खमनौर, जिला-राजसमन्द (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 2457.00 वर्गफीट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है- पूर्व-हिम्मत पुत्र स्वर्गीय शंकर लाल का मकान, पश्चिम-मोहन लाल पुत्र भंवर लाल का मकान, उत्तर-रास्ता एवं चौक, दक्षिण- स्वर्गीय भंवर लाल का मकान
4	HLR00000000011925 श्री मोहन लाल मेघवाल पुत्र श्री गोडा मेघवाल (ऋणी) श्रीमती धापू बाई पत्नी श्री गोडा मेघवाल (सह-ऋणी-1) श्री गोडा मेघवाल पुत्र श्री नारायण मेघवाल (सह-ऋणी-2) श्री मिट्ठा लाल मेघवाल पुत्र श्री गोडा मेघवाल (सह-ऋणी-3) श्री भेरू लाल भील पुत्र श्री राटा भील (जमानती-1) श्री किशन लाल मेघवाल पुत्र श्री कुका राम मेघवाल (जमानती-2)	1) मांग पत्र की दिनांक- 02 अगस्त 2024 2) मांग पत्र में अंकित राशि रु. 7,93,940/- अक्षरें रूपये सात लाख तिरानवें हजार नौ सौ चालीस मात्र दिनांक अगस्त 01, 2024 तक एवं दिनांक अगस्त 02, 2024 से भविष्य के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त।	श्री गोडा मेघवाल पुत्र श्री नारायण मेघवाल की संपत्ति जो कि पट्टा नं.-55083, मिस्सल नं.-183, बुक नं.-67, आराजी नं.-230, ग्राम पंचायत-साकरोदा, पंचायत समिति मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 2305.60 वर्गफीट है। जिसकी चतुसीमा निम्न है पूर्व किशन मेघवाल का मकान, पश्चिम बाबु मेघवाल का मकान, उत्तर-आम रास्ता, दक्षिण-स्वयं की भूमि
5	HLR00000000014363 श्री सुरेश चन्द रेगर पुत्र श्री धूलाजी रेगर (ऋणी) श्रीमती रुकमणी देवी रेगर पत्नी श्री सुरेश चन्द्र रेगर (सह-ऋणी-1) श्री नारायण लाल रेगर पुत्र श्री डालू रेगर (सह-ऋणी-2) श्री मोहन लाल रेगर पुत्र श्री रतना जी (जमानती)	1) मांग पत्र की दिनांक- 13 जून 2024 2) मांग पत्र में अंकित राशि रु. 4,78,230/- अक्षरें रूपये चार लाख अठत्तर हजार दो सौ तीस मात्र दिनांक अगस्त 13, 2024 तक एवं दिनांक अगस्त 14, 2024 से भविष्य के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त।	श्री सुरेश चंद्र रेगर पुत्र श्री डालूजी रेगर की संपत्ति जो कि पट्टा नं.-20, ग्राम-सेंगवास, ग्राम पंचायत-डोवारा, तहसील-आमेट, जिला-राजसमन्द (